

10-2-23

राज पीठासीन अधिकारी महोदय अखिलेश्वर पर  
कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालना  
में पत्रावली नियत दिनांक 3-3-23 को पेश हो

3-3-23

राज बार द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखने  
आदेशों की पालना  
पत्रावली नियत दिनांक 20-3-23 को पेश हो

20-3-23

राज बार द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखने  
के कारण गत आदेशों की पालना  
पत्रावली नियत दिनांक 10-4-23 को पेश हो

10-4-23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रवीण शर्मा एवं प्रवीण  
शर्मा द्वारा राजबंशु जी के अधिवक्ता प्रवीण शर्मा अथवा  
प्रवीण शर्मा से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। राजबंशु  
अधिवक्ता उपस्थित। राजबंशु अधिवक्ता द्वारा  
निवेदन किया गया कि विचाराधीन प्रकरण में तत्कालीन  
पीठासीन अधिकारी श्री जनक शर्मा उपखण्ड अधिकारी  
लिम्पराग का स्थानांतरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में  
प्रकरण आगे चलाये जाये न कि निलम्बित हो।  
प्रवीण शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रवीण शर्मा का स्थानांतरण श्री जनक  
शर्मा उपखण्ड अधिकारी लिम्पराग के निरस्त पेश किया  
गया है, जिनका स्थानांतरण हो चुका है ऐसी स्थिति  
में विचाराधीन प्रवीण शर्मा का स्थानांतरण सारणी व प्रकाशित  
हो जाने से खारिज योग्य है।  
कारण: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लिम्पराग में  
विचाराधीन प्रकरण के 31/2022 इन वानी रकीना बनाम  
लल्लुराम का कार्य समाप्त हो चुका है। स्थानांतरण  
करने हेतु प्रस्तुत प्रवीण शर्मा का स्थानांतरण खारिज व  
प्रकाशित होने से खारिज किया जाता है। जिनके  
प्रति उपखण्ड अधिकारी लिम्पराग का निर्णय है।  
पत्रावली जिसका शुभारंभ श्री जनक शर्मा से हुआ है।  
प्रति प्रविष्ट लल्लुराम की जमानत नम्बर से उभय पक्षों  
10-4-2023 को मेरे द्वारा मुझे न्यायालय में सुनाया गया।

